938

ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

BIHAR RURAL ROADS PROJECT

Bihar Rural Road Development Agency (BRRDA)

T-s Copy

DETAILED PROJECT REPORT

PMGSY-POST DLP

PACKAGE NO.:-	BR08R235	STATE :-	BIHAR
BLOCK :-	Itarhi	DISTRICT :-	Buxar
ROAD NO. :-		DIVISION :-	Buxar

NAME OF ROAD	=	L093-CHAUSA DHANSOI ROAD TO KUSAHIN DERA (VR93)
TOTAL LENGTH OF ROAD	=	2.200 Km
TOTAL CONSTRUCTION LENGTH OF ROAD	=	2.200 Km
TOTAL COST of INITIAL RECTIFICATION WORK (Lakh)	=	Rs. 32.072 Lacs
FIRST TIME SURFACE RENEWAL		Rs. 37.676 Lacs
5th YEAR PERIODIC RENEWAL	=	Rs. 37.748 Lacs
TOTAL CONSTRUCTION		Rs. 107.496 Lacs
PER KM COST OF CONSTRUCTION		Rs. 48.862 Lacs
6 YEAR OPERATION & MANAGEMENT (O&M) COST	=	Rs. 27.822 Lacs
TOTAL COST OF PROJECT	=	Rs. 135.318 Lacs
EMERGENT & PRICE ADJUSTMENT COST @15 % (in Lakh)	=	Rs. 20.298 Lacs
CONTINGENCY COST @1 % (in Lakh)	=	Rs. 1.353 Lacs
ADMINISTRATIVE COST @2.25 % (in Lakh)	=	Rs. 3.045 Lacs
TOTAL PROJECT COST	=	Rs. 160.014 Lacs

YEAR (2025 - 2026)

SUBMITTED BY :-
Executive Engineer
RWD (w) Division,Buxar
Buxar

PREPARED BY:

M/S HI-TECH ASSOCIATED
CONSTRUCTIONS & DESIGN SERVICES
DIGHA,PATNA-800012

ई–मेल / विभागीय वेवसाईट / साधारण डाक से

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-PMGSY-183/2025-4403 /पटना, दिनांक– 18.09.2025

प्रेषक,

अभय झा, भा0प्र0से0

संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **Central Assistance** के तहत प्राप्त **Financial Incentive** के व्यय हेतु वर्ष **2025-26 (Batch-II)** अन्तर्गत चयनित 0–5.00 करोड़ की 49 योजनाओं के **Initial Rehabilitation (IR), Periodic Renewal** के कार्य हेतु रू0 48.10236 करोड़ तथा **Operation and Management including second time Surface Renewal, Emergent Repair, Contingency** एवं प्रशासनिक व्यय हेतु रू0 36.32518 करोड़ जिनकी कुल प्राक्कलित राशि रू0 84.42754 करोड़ (चौरासी करोड़ बयालीस लाख पचहत्तर हजार चार सौ रूपये) मात्र है, पर योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अपने पत्रांक–P-17017/3/2017-RC (eFMS No. 354084) दिनांक–31.03.2025 के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत Central Assistance के तहत राज्य को नियमानुसार Financial Incentive निर्गत किया गया है।

2. जिसके माध्यम से सूचित किया गया है कि राज्य को Financial Incentive के तहत कुल रू0 138.00 करोड़ (केन्द्रांश) राशि निर्गत किया जा रहा है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित है कि इस राशि के समतुल्य यथा रू0 92.00 करोड़ (राज्यांश) की राशि राज्य के द्वारा भारित किया जायेगा।

3. Financial Incentive के कुल रू0 230.00 करोड़ (केन्द्रांश–रू0 138.00 करोड़ एवं राज्यांश–रू0 92.00 करोड़) राशि के लिए यह स्पष्ट रूप से निदेश है कि "The funds released as Financial Incentive are exclusively meant for periodic maintenance of roads already constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana."

NRIDA के पत्रांक–557 दिनांक–19.05.2025 के द्वारा इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि Financial Incentive की राशि का उपयोग Post DLP Maintenance

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनापत्तिचारिक रूप से ...

के Initial Rehabilitation (IR) तथा Periodic Renewal के कार्यो पर किया जा सकता है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि योजना के Routine Maintenance एवं Emergency Maintenance की राशि राज्य सरकार के द्वारा भारित किया जायेगा।

4. तदनुसार 0–5.00 करोड़ की 49 योजनाओं के Initial Rehabilitation (IR), Periodic Renewal के कार्य हेतु रू0 48.10236 करोड़ तथा Operation and Management including second time Surface Renewal, Emergent Repair, Contingency एवं प्रशासनिक व्यय हेतु रू0 36.32518 करोड़ जिनकी कुल प्राक्कलित राशि रू0 84.42754 करोड़ (चौरासी करोड़ बयालीस लाख पचहत्तर हजार चार सौ रूपये) मात्र है, पर विधिवत् योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है:–

Sr. No.	District	Division	Block Name	Road Name	Proposal Length (km)	Total Cost of Initial Rehabilitation (in Lakh)	Total Cost of Periodic Renewal (in Lakh)	Total Cost of Initial Rehabilitation and Periodic Renewal (in Lakh) (7+8)	Total Cost of 5th Year Periodic Renewal (in Lakh)	6 Year Operation & Management Cost (In Lakh)	Emergent & Price Adjustment Cost (In Lakh)	Contingency Cost (in Lakh)	Administrative Cost (in Lakh)	Total Project Cost (in Lakh) (9+10+11+12+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Aurangabad	Daudnagar	Rafiganj	L192-L029 to BANKE BIGHA	1.890	51.630	29.957	81.587	29.686	21.977	19.988	1.333	2.998	157.569
2	Banka	Banka-1	Amarpur	L056-Belsira Pansalla to Pathaki (VR37)	1.430	27.951	18.349	46.300	18.349	13.557	11.731	0.782	1.760	92.479
3	Banka	Banka-1	Banka	L079-BANKA-DHAKA MORE TO 1 TO DOMAKHAR (VR55)	1.500	39.912	15.272	55.184	15.272	12.124	12.387	0.826	1.858	97.651
4	Buxar	Buxar	Itarhi	L093-CHAUSA DHANSOI ROAD TO KUSAHIN DERA (VR93)	2.200	32.072	37.676	69.748	37.748	27.822	20.298	1.353	3.045	160.014
5	Buxar	Dumraon	Dumraon	L104-Nuoan Railway Crossing to Sowan Yadav Tola (VR104)	1.300	26.355	18.893	45.248	18.928	17.016	12.179	0.812	1.827	96.010
6	East Champaran	Chakia	Chakia or Pipra	L051-NH28 HARPUR TO PHULWARIYA (VR38)	2.321	87.090	24.870	111.960	24.870	19.820	23.500	1.570	3.530	185.250
7	Gaya	Gaya	Fatehpur	L097-Fatehpur Rajauli Rakshi Road to Lodichak (TRACK97)	1.625	44.160	24.530	68.690	23.060	17.690	16.416	1.094	2.462	129.412
8	Gaya	Gaya	Fatehpur	L100-Patwansh Road Gurpa Bazar to Telani (TRACK100)	3.875	48.460	73.570	122.030	71.470	48.810	36.350	2.420	5.450	286.530
9	Gaya	Gaya	Gaya sadar	L067-Mira Bigha TO Hargawon (VR67)	1.651	69.010	22.760	91.770	21.040	16.320	19.370	1.290	2.910	152.700
10	Gaya	Imamganj	Banke Bazar	L061-T01 to Singhpur (VR61)	0.937	42.720	10.480	53.200	10.400	9.570	10.980	0.730	1.650	86.530
11	Jahanabad	Jahanabad	Kako	L031-BARAWAN ROAD TO NARAWAN (TRACK6)	2.140	31.205	31.322	62.527	31.380	29.369	18.491	1.233	2.774	145.774
12	Jahanabad	Jahanabad	Makhdumpur	L050-T02 ALUA BIGHA TO AMAPUR (TRACK5)	3.570	84.049	52.934	136.983	53.033	50.113	36.019	2.401	5.403	283.952
13	Kaimur (Bhabhua)	Kaimur (bhabhua)	Bhagwanpur	L042-T05 to Babhani (VR7)	5.200	80.662	76.457	157.119	75.727	45.425	41.741	2.783	6.261	329.056

6. वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा पत्रांक ब0–15/बी0एस0जी057/25/–410/वि दिनांक–12.06.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि SNA SPARSH MODLUE में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में Component Wise एक ही Head of Account (HoA) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गयी है।

7. चयनित योजनाओं के कुल प्राक्कलित राशि रू0 84.42754 करोड़ में से Initial Rehabilitation (IR) तथा Periodic Renewal के कार्य के कुल राशि रू0 48.10236 करोड़ (केन्द्रांश की राशि रू0 28.861416 करोड तथा राज्यांश की राशि रू0 19.240944 करोड़) केन्द्रांश मद (विपत्र कोड–37–4515–00–103–0216) अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी।

शेष रू0 36.32518 करोड़ रूपये की राशि Operation and Management including second time Surface Renewal, Emergent Repair, Contingency तथा प्रशासनिक व्यय के लिए ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101–2023–1718 दिनांक–15.11.2024 की कंडिका–20 के आलोक में मुख्य शीर्ष 4515 उपमुख्य शीर्ष 00 लघुशीर्ष 103 ग्राम विकास उपशीर्ष 0121 (विपत्र कोड–37–4515001030121/ 4515007890107/ 4515007960110) अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगी।

8. उपर्युक्त योजनाओं के लिए Initial Rehabilitation (IR) तथा Periodic Renewal के कार्य का भुगतान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में eMarg के POST DLP Module से किया जायेगा।

उपर्युक्त योजनाओं के Operation and Management including second time Surface Renewal, Emergent Repair, Contingency तथा प्रशासनिक व्यय ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–मु0अ0–4(मु0)विविध कार्य–06–101–2023–1718 दिनांक–15.11.2024 के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

9. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। विभागीय संकल्प संख्या–1718 दिनांक–15.11.2024 में उल्लेखित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर यथा संशोधित CMBD के आलोक में e-tendering पद्धति से निविदा आमंत्रित कर सम्पन्न कराया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम–4–53/2007/12888/वि0, दिनांक–03.12.2024 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

12. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. योजना के क्रियान्वयन के क्रम में निर्धारित अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

15. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता इसकी सूचना मुख्यालय को अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगें।

16. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301वि (2), दिनांक–31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2), दिनांक–15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक– एम–4–53/2007/12888/वि0, दिनांक–03.12.2024, के प्रावधानों एवं वित्त नियमावली, खण्ड–1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या–मु०अ०–4–PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक–22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-PMGSY-183/2025 पृ0–51/टि0 पर दिनांक–09.09.2025 को प्राप्त है।

17. इस योजना के लिए सक्षम स्वीकृति प्राधिकार की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग के संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-PMGSY-183/2025 के पृ0–64/टि0 पर दिनांक–17.09.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

17/09/25

(अभय झा)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-183/2025 -4403 /पटना, दिनांक– 18.09.2025

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.09.25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-183/2025 -4403 /पटना, दिनांक– 18.09.2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.09.25

संयुक्त सचिव

AA details vide letter No: BRRDA (HQ)-AP-183/2025-4403 Dt-18.0[illegible]

length = 2.20 km

Construction Cost-₹ 107.496 lacs

6 Years Maintenance Cost-₹ 27.822 lacs

Administrative & Contigency Cost-₹ 4.398 lacs.

Total-₹ 139.716 lacs.

Emergent cost ₹ 20.298 lacs.

Total = 160.014 lacs.

TS details:

length = 2.20 km

Construction Cost-₹ 96.139 lacs

6 Years Maintenance Cost-₹ 27.822 lacs

Administrative & Contigency Cost-₹ 4.398 lacs.

Total-₹ 128.359 lacs

T.S. No.......................dt.......................

Ref. S.E. Letter No.......................dt...../..........

Technical Sanction Accorded for Rs. 128.359 lacs

(Rupees one crore twenty Eight lacs thirty five thousand Nine hundred) only

Technical Sanction does not mean sanction of rate. Instruction given in technical note should be followed strictly.

[signature] 21.10.25 A.E.

[signature] 21.10.25 E.E.

[signature] 21.10.25 Tech. Secy

[signature] 21/10/25 C.E.-1

मुख्य अभियंता–1 (पटना) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– मु0अ0–1 / प्रा0–04–199 / 2025 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

ई0 राम मनोहर ठाकुर,
मुख्य अभियंता 1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **आरा।**

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बक्सर** के अधीन **शीर्ष** PMGSY-POST DLP अन्तर्गत स्वीकृत कुल **01 (एक)** अदद योजना का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख–रखाव कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक **938** अनु0 दिनांक **06.10.2025**

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल **01 (एक)** अदद पथ के प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगें।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल /पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अचंल, **आरा** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे किवह स्थल के अनुरुप है।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ के कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

Don't forget to
ctivate Office 202
egin, open
e app.

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बक्सर** के अधीन **शीर्ष** PMGSY-POST DLP योजनान्तर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत योजनाओं की सूचीः–

क्र0 सं0	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति अनुमोदन की राशि (निर्माण कार्य, अनुरक्षण कार्य, प्रशासनिक एवं आकस्मिक कार्य) (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य, अनुरक्षण कार्य, प्रशासनिक एवं आकस्मिक कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Itarhi, L093-Chausa Dhansoi Road To Kusahin Dera (VR93)	2.200	Letter N0-**4403** Date-**18.09.2025**	160.014	128.359

अनु0–स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/–

मुख्य अभियंता–1 (पटना),

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापांकः– 2025 पटना, दिनांकः– 21/10/2025

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बक्सर** को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/25

मुख्य अभियंता–1 (पटना),

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

T/S NO 103 21/10/2025

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नामः– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ **02** के अनुसार।

प्रशासनिक स्वीकृतिः– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ **05** के अनुसार।

विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट **'क'** के स्तम्भ **06** में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य **अंचल, आरा** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चि करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार–प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः–
   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जॉच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरुप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत समाग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वंय निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात हीं आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरांत हीं निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभिंयता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य से किसी भी तरह से **शीर्ष** MMGSY- (Awsesh) योजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय–समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।

21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ स्तर के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन–।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यो का दर अनुसुचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारीयों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।
24. पूर्व में कराए गए कार्यो से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वंय कर प्रमाण–पत्र देगें।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकड़ो को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत हीं कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।
29. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है।
30. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण समाग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्डर इत्यादि) की ढुलाई निकटस्त अनुमोदित खादान से हीं देय होगी।
31. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहॉ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

विश्वासभाजन

21/10/15

मुख्य अभियंता–1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।